## <u>न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u> (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

<u>दा0 प्रकरण क0-403 / 16</u> संस्थित दिनांक 24.05.2016 F.No.3004302016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, जिला बालाघाट म०प्र०

.....अभियोजन।

## विरुद्ध

तरूण पडवार पिता डिलनदास पडवार, उम्र—38 साल, निवासी पाण्डुतला थाना गढ़ी तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)।

.....अभियुक्त।

## -:: <u>निर्णय</u> ::-

-:: दिनांक <u>03 / 10 / 2017</u> को घोषित ::-

- 01. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए(दो बार) भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 25.01.16 को समय रात्रि 10:30 बजे से दिनांक 26.01.16 के सुबह 9:00 बजे के दरिमयान थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम किड़गीटोला में ईट भट्टे के मालिक होकर भट्टे में कार्यरत श्रिमकों की ईट भट्टे में रूकने की पर्याप्त व्यवस्था न कर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती, जिससे ईट भट्टे के धुऐं से दम घुटने से मृतक शिवदास एवं फगनिसंह उइके की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता तरूण पड़वार द्वारा थाना गढ़ी में दिनांक 26.01.16 को सूचना दी गई कि दिनांक 25.01.16 को ईट भट्टा को पकाने के लिए भट्टा में आग लगाये थे और रात में ईट भट्टा के उपर सो गये थे। मजदूरों ने दिनांक 26.01.16 को देखे तो शिवदास एवं फगनसिंह की मृत्यु हो गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मर्ग क. 3/16 एवं 4/16 द्वारा 174 जा. फो. का कायम कर जांच में लिया गया। विवेचना दौरान संतोष सोनवाने, करणसिंह, प्रेमबती बाई, गोमतीबाई, मुकेश, सकरूसिंह से पूछतांछ की गई, जिन्होंने अपने कथनों में दिनांक 25.01.16 को शिवदास एवं फगनसिंह उइके ईट भट्टा को पकाने के लिए आग लगाये थे और तरूण पड़वार द्वारा वही रूकने के लिये कहा गया था। ईट भट्टा में काम करने वाले मजदूरों के रूकने के लिए मकान, झोपड़ी, अन्य कोई इंतजाम सुविधा नहीं करने के कारण मृतक ठण्ड के दिनों में ईट भट्टा के उपर सोये थे। ईट

भट्टा मालिक द्वारा उपेक्षापूर्ण लापरवाही करने से शिवदास एवं फगनसिंह ईट भट्टा के उपर सोये थे। डॉक्टर द्वारा पी.एम. रिपोर्ट में धुएं से दम घुटने से मृत्यु होना लेख किया गया। जांच पर मर्ग इन्टीमेशन, अपराध नक्शा, शव पंचनामा, पी.एम. रिपोर्ट, गवाहों के कथनएवं डॉक्टर द्वारा प्रिजर्व विसरा को एफ.एस.एल. सागर एवं एफ.एस.एल. भोपाल भेजा गया था। आरोपी के विरूद्ध धारा—304ए भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान कमांक 35/16 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03. अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार किया। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों को अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 जा०फौ० में अस्वीकार किया है। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर उसका बचाव है कि वह निर्दोश है, उसे मामले में झूठा फसाया गया है। उसने बचाव में साक्ष्य नहीं दिया है।
- 04. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
  - 01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.01.16 को समय रात्रि 10:30 बजे से दिनांक 26.01.16 के सुबह 9:00 बजे के दरिमयान थाना—गढ़ी अंतर्गत ग्राम किडगीटोला में ईट भट्टे के मालिक होकर भट्टे में कार्यरत श्रमिकों की ईट भट्टे में रूकने की पर्याप्त व्यवस्था न कर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती, जिससे ईट भट्टे के धुऐं से दम घुटने से मृतक शिवदास एवं फगनिसंह उइके की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

## ः:सकारण निष्कर्णः:

05. साक्षी मुकेश अ०सा०—1 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा वह मृतक शिवदास एवं फगन को भी जानता था। घटना पिछले साल 26 जनवरी की है। वह बब्लू और अन्य लोग किड़गीटोला स्थित भट्टे पहुंचे तो देखे कि शिवदास व फगनसिंह मृत पड़े थे। फिर उसने तरूण भैया को फोन किया तो वह भी वहां आ गये। उसे घटना के संबंध में इतनी ही जानकारी है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तथा उसने पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक शिवदास एवं फगनसिंह का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी01 व 02 बनाया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका—नक्शा प्र.पी03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना किसकी गलती से हुई उसे जानकारी नहीं है। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार

किया है कि घटना दिनांक 26.01.2016 की है, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी के यहां वह काम करने गया, तो देखा कि ईट भट्टे में आग लगी थी और धुआं निकल रहा था, शिवदास एवं फगनसिंह उपर सोये हुये थे, जो उठाने पर नहीं उठे तथा उसके बाद उसने अपने मोबाईल से आरोपी को फोन किया, जिसके बाद आरोपी के आने पर शिवदास व फगनसिंह को नीचे उतारे तो पता चला कि दोनों की मृत्यु हो गयी है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ईट भटटा मालिक द्वारा काम करने वाले मजदूरों के लिए पर्याप्त इंतेजाम नहीं किये गये तथा लापरवाहीपूर्वक कार्य करने के कारण शिवदास एवं फगनसिंह की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी ने प्र.पी04 का कथन पलिस को न देना व्यक्त किया।

- 06. साक्षी मुकेश अ0सा0—1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह भी उक्त भटटे में काम करने जाता था, ईट भट्टे में कार्यरत सभी मजदूरों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं थीं, मृतक कभी—कभी शराब का सेवन भी करते थे, मृतकगण शराब के नषे में काम करने चले गये हो तो उसे नहीं मालूम, उसके काम करने के दौरान आरोपी के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही काम करवाने में नहीं बरती गयी है, उसके द्वारा प्र.पी.01, 02 एवं 03 के दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर थाने में हस्ताक्षर किये गये थे, प्र.पी03 में जब पुलिस ने हस्ताक्षर करवाये थे, उस समय वह कोरा था, उसने पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त भट्टा नहीं दिखाया था, उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी04 पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने पढ़कर सुनाया था, आरोपी ने आराम करने के लिए ईट भट्टे से अलग हटकर व्यवस्था किया था, मृतकगण यदि ईट भट्टे के उपर नहीं सोते तो नहीं मरते तथा मृतकों की मृत्यु होने पर आरोपी की कोई गलती नहीं थी और ना ही आरोपी ने किसी प्रकार का लापरवाहीपूर्वक कोई कार्य किया था।
- 07. साक्षी करणसिंह अ०सा०—2 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा वह मृतक शिवदास एवं फगनसिंह को भी जानता था। घटना इसी साल 26 जनवरी की है। मृतक शिवदास व फगनसिंह 25 जनवरी की रात को आरोपी के ईट भट्टे में काम करने गये थे। 26 जनवरी की सुबह 10:00 बजे गांव के मोहन ने आकर बताया कि उसके लड़के फगनसिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद वह जाकर देखा तो उसका लड़का फगनसिंह और शिवदास नाले के पास मृत हालत में पड़े थे। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक शिवदास एवं फगनसिंह का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी01 व 02 बनाया था, जिनके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका—नक्शा प्र.पी04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी ईट भट्टा मालिक के द्वारा मजदूरों

के इंतेजाम सुविधा नहीं करने तथा उसकी लापरवाही से उसके लड़के फगनिसंह एवं शिवदास की मृत्यु हुई है। साक्षी ने प्र.पी05 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी के ईट भट्टे में मजदूरों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके द्वारा प्र.पी01, 02 एवं 04 के दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर थाने में हस्ताक्षर किये गये थे, प्र.पी04 में जब पुलिस ने हस्ताक्षर करवाये थे, उस समय वह कोरा था, उसने पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त भट्टा नहीं दिखाया था, उसने अपना पुलिस कथन प्र.पी05 पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने पढ़कर सुनाया था, आरोपी ने आराम करने के लिए ईट भट्टे से अलग हटकर व्यवस्था किया था, मृतकगण यदि ईट भट्टे के उपर नहीं सोते तो नहीं मरते, मृतकों की मृत्यु होने पर आरोपी की कोई गलती नहीं है और ना ही आरोपी ने किसी प्रकार का लापरवाहीपूर्वक कोई कार्य किया।

- साक्षी संतोष अ.सा.०५ का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा 08. वह मृतक शिवदास एवं फगनसिंह को भी जानता था। घटना वर्ष 2016 में 26 जनवरी की है। घटना के समय उसका लडका शिवदास आरोपी के ईट भटटा में काम करने गया हुआ था। उसे फोन आया कि शिवदास ईट भटटा में बेहोश पड़ा है, जिसके बाद उसने घटनास्थल पर जाकर देखा तो शिवदास और फगनसिंह का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष शिवदास तथा फगनसिंह के नक्शा पंचनामा की कार्यवाही की थी। उपस्थित होने की सूचना प्र.पी.01 व 02 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा प्र.पी.08 एवं 09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव परीक्षण उपरांत उसने शिवदास का शव सुपुर्दनामा पर लिया था, जो प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। उसे बताया गया था कि शिवदास की मृत्यु गैस के कारण हुई थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ईट भट्टा मालिक द्वारा ईट भट्टा में काम करने वालों के रूकने के लिए मकान झोपड़ी तथा अन्य सुविधा नहीं किया था, जिससे उसकी लापरवाही के कारण शिवदास और फगनसिंह की मृत्यु हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त घटना में आरोपी तरूण पडवार की कोई गलती नहीं थी, उसने अपना पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।
- 09. साक्षी सकरुचंद उड़के अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा वह मृतक शिवदास एवं फगनिसंह को भी जानता था। घटना पिछले वर्ष 26 जनवरी की है। घटना के समय वह बाहर काम करने गया था। उसे फोन आया कि शिवदास और फगनिसंह की मृत्यु हो गयी है, जिसके बाद वह अपने ग्राम कुडेला आया। गांव में शिवदास और फगनिसंह का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने उससे घटना

के संबंध में पूछताछ की थी। उसने पुलिस को बता दिया था कि उसे जानकारी नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक को फगनिसंह तरूण पड़वार के ईट भट्टा में ईट पकाने के लिए आग लगाने का बोलकर गया था और वहीं रूका था, अगले दिन पता चला कि तरूण पड़वार के ईट भट्टा के उपर लगायी गई आग में ईट भट्टा के नीचे उतरने पर शिवदास तथा फगनिसंह की मृत्यु हो गयी थी, आरोपी तरूण पड़वार ने ईट भट्टा में काम करने वालों के रूकने के लिए मकान झोपड़ी तथा अन्य सुविधा नहीं किया था, जिससे उसकी लापरवाही के कारण शिवदास और फगनिसंह की मृत्यु हुई। साक्षी ने प्र.पी.06 का पुलिस कथन न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उक्त घटना में आरोपी तरूण पड़वार की कोई गलती नहीं थी, उसने किसी अन्य व्यक्ति से भी नहीं सुना कि आरोपी की उक्त घटना में गलती थी, उसने अपना पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।

- साक्षी सुनील अ0सा0-4 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा वह मृतक शिवदास एवं फगनसिंह को भी जानता था। घटना पिछले वर्ष 26 जनवरी की है। घटना के समय वह आरोपी के ईट भटटा में काम करता था, जहां मृतक भी काम करते थे। वह काम करने के बाद शाम को अपने घर चला गया था। अगले दिन उसे पता लगा कि शिवदास और फगनसिंह की मृत्य हो गयी है। मृत्य कैसे हुई उसे नहीं मालुम। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। उसने पुलिस को बता दिया था कि उसे जानकारी नहीं कि मृत्यु कैसे हुई है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनाक 26.01.16 को सुबह घर से रकूल जा रहा था, तो शिवदास एवं फगनसिंह ईट भट्टा के उपर सोये थे और जब स्कुल से वापस आया तो पता चला कि उनकी मृत्यू हो गयी, उसे पता चला था कि ईट भटटा मालिक द्वारा ईट भटटा में काम करने वालों के रूकने के लिए मकान झोपड़ी तथा अन्य स्विधा नहीं किया था, जिससे उसकी लापरवाही के कारण शिवदास और फगनसिंह की मृत्यु हुई थी। साक्षी ने प्र.पी.07 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त घटना में आरोपी तरूण पडवार की कोई गलती नहीं थी, उसने किसी अन्य व्यक्ति से भी नहीं सुना कि आरोपी की उक्त घटना में गलती थी, उसने अपना पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।
- 11. साक्षी राजूप्रकाष गायधने अ.सा.०६ का कथन है कि वह दिनांक 25.01.2016 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 26.01.2016 को प्रार्थी तरूण पडवार की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 03/16, 04/16 धारा

174 जा.फौ. का मर्ग कायम किया गया था, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर है। मर्ग जांच के दौरान अपराध कमांक 24 / 16 अंतर्गत धारा-304ए भा.द.वि. के अंतर्गत कायम किया गया था, जो प्र. पी.12 है, जिसके ए से ए भाग तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को घटनास्थल ग्राम पाण्डुतला, किड़गीटोला जाकर गवाह करणसिंह उईके की निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक शिवदास सोनवाने एवं फगनसिंह उइके का शव पंचनामा कार्यवाही गवाह करणसिंह, संतोषदास, डिलन, मुकेश के समक्ष किया था। शव पंचनामा क्रमशः प्र.पी.08 तथा 09 है, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक फगनसिंह एवं शिवदास का पी.एम. फार्म भरकर डॉक्टर से पी.एम. करवाया गया था, जो प्र.पी.14 तथा प्र.पी.15 है, जिसके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.02.2017 को डॉक्टर द्वारा विसरा प्रिजर्व करने पर उसके द्वारा समक्ष गवाह आरक्षक पुन्नालाल, आरक्षक भारत परते के समक्ष जप्त किया गया था। घटनास्थल पर उसके द्वारा दिनांक 13.03.2016 को गवाह करणसिंह उइके, मुकेश धुमकेत्, सकरू, संतोष कुमार, दिनांक 15.03.2016 को विपिन, गोमतीबाई, तथा प्रेमबतीबाई, दिनांक 12. 05.2016 को सुनील कुमार, रामबाई, जितेन्द्र टेकाम, कु0 अमरबतीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। दिनांक 24.04.2016 को आरोपी तरूण पडवार को अभिरक्षा में लेकर गवाह धनुवासिंह, टेमसिंह के समक्ष उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.16 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी तरूण पडवार के हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तृत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तृत किया गया था।

12. साक्षी राजूप्रकाश गायधने अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना जांच के अपने मन से लेखबद्ध की गई थी, मौका—नक्शा उसके द्वारा थाने पर बैठकर अपने मन से तैयार किया गया था, उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये थे। यदि गवाहों द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में पुलिस को घटना के संबंध में कथन देने से इंकार किया गया हो तो वह गलत है और वह इसका कारण नहीं बता सकता, उसने अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था, उसके द्वारा मनमुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये शव परीक्षण बिछिया अस्पताल में कराया गया था। साक्षी के अनुसार घटनास्थल से बिछिया की दूरी कम होने के कारण वहां परीक्षण कराया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा साजिशवश विवेचना कर प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है।

- प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा मृतकगण की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श सी–1 तथा सी–2 को स्वीकार किया गया है, जिससे उक्त मृतकों की मृत्यु के कारणों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी के भटटे में कार्यरत शिवदास एवं फगनसिंह उइके की मृत्यू हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोडकर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। ''परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है'' के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा भट्टे में कार्यरत श्रमिकों की ईट भट्टे में रूकने की पर्याप्त व्यवस्था न कर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती गई, जिससे ईट भट्टे के धुएं से दम घुटने से मृतक शिवदास एवं फगनसिंह उइके की ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नही आती। इस संबंध में न्याय दुष्टांत-Bijuli Swain Vs. State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।
- 14. अतः अभियुक्त तरूण पडवार को भा.दं०सं० की धारा—304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं।
- 17. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)